



बड़ौदा यू. पी. बैंक Baroda U.P. Bank

(पूर्ववर्ती काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक) (Sponsored by Bank of Baroda)

क्षेत्रीय कार्यालय, चंदौली जीटी रोड, गुप्ता पेट्रोल पंप अलीनगर, चंदौली -232101

सार्वजनिक
बिक्री/नीलामी सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

अचल संपत्ति के लिए सार्वजनिक नीलामी/बिक्री सूचना

वित्तीय आस्थितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा सेक्शन 13(4)

(सरफेसी अधिनियम 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 6(2) और/या नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़ौदा यू. पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें कर्जदार(रों) गारंटीदाता(ओं) बन्धककर्ता(ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कह गया और जैसाकि कर्जदार(रों) गारंटीदाता(ओं) बन्धककर्ता(ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति/सम्पत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों के नाम से निर्दिष्ट का सांकेतिक कब्जा ले लिया है जैसा की अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंको के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार(रों) गारंटीदाता(ओं) बन्धककर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक/प्रभारित पड़ी है, जिसका सांकेतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू. पी. बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिस निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित साक्षी में अतिक्रान्तार तिथि को "जैसा है जहाँ है, जैसा है जो है" और जो है वहीं है" आधार पर बेचा जाएगा। जनसाधारण और विशेषरूप से कर्जदार(रों) गारंटीदाता(ओं) बन्धककर्ता(ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को 31.08.2022 को या उससे पहले बड़ौदा यू.पी.0 बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय चंदौली जी.टी.रोड अलीनगर गुप्ता पेट्रोल पंप के बगल में मुगलसराय जनपद चंदौली (232101) में मुहरबंद लिफाफे में निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली 01.09.2022 को खोली जाएगी।

क्र. सं.	ऋणी/बंधककर्ता का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण संपत्ति के मालिक का नाम	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक/ कब्जा का प्रकार	बकाया धनराशि व दिनांक	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (₹0)
1.	ऋणी- मन्नी देवी पत्नी दीनानाथ एवं पिंटे पुत्र दीनानाथ पता: ग्राम-सुजाबाद, पडाव, जिला-वाराणसी शारवा- साहपुरी, जिला- चंदौली खाता संख्या 818096510000045	भूमि/भवन: प्लॉट न0149, मौजा-सुजाबाद, परगना- राहपुर, जिला-वाराणसी, स्वामी का नाम- मन्नी देवी पत्नी दीनानाथ, चौहद्दी: उत्तर- रास्ता, दक्षिण-पटेल जी का घर, पूरब- रास्ता, पश्चिम- रानी देवी का घर	04-12-2020 24-03-2021 सांकेतिक कब्जा	Rs. 6,68,319.92+ दिनांक 30.06.2020 से अप्रभारित ब्याज + अन्य खर्च (घटाये मांग सूचना के बाद खाते में जमा की गयी धनराशि)	आरक्षित मूल्य ₹ 19,00,000/- धरोहर राशि ₹ 1,90,000/-
2.	ऋणी- एनुलहदा पुत्र इबाहीम एवं श्रीमती तसरीफुनिशा पत्नी एनुलहदा, पता: ग्राम-सतपोखरी, पोस्ट-दुलहीपुर जिला-चंदौली, पिन-232101 खाता संख्या-818096510000049 शारवा- साहपुरी, जिला-चंदौली	भूमि/भवन- आराजी सं0- 57, मौजा-सतपोखरी, परगना-राहपुर, जिला-चंदौली, स्वामी का नाम- एनुलहदा पुत्र इबाहीम एवं श्रीमती तसरीफुनिशा पत्नी एनुलहदा चौहद्दी: उत्तर- करीम की जमीन, दक्षिण-आराजी का हिस्सा, पूरब- 4 फीट रास्ताके बाद कयूम का घर, पश्चिम- 2 फीट कच्चा रास्ता	15-02-2021 08-10-2021 सांकेतिक कब्जा	Rs. 6,74,649.66+ दिनांक 30.06.2017 से अप्रभारित ब्याज + अन्य खर्च	आरक्षित मूल्य ₹ 10,50,000/- धरोहर राशि ₹ 1,05,000/-
3.	ऋणी- मां0 असरफ पुत्र मां0 अयूब, पता: ग्राम-सतपोखरी, पोस्ट- दुलहीपुर, जिला-चंदौली खाता संख्या-818096510000062 शारवा- साहपुरी, जिला-चंदौली	भूमि/भवन: प्लॉट न0 मि 52, मौजा-सतपोखरी, परगना- राहपुर, जिला- चंदौली स्वामी का नाम - मां0 असरफ पुत्र मां0 अयूब, चौहद्दी : उत्तर- समसुदीन का घर, दक्षिण- 3 फीट रास्ता के बाद अब्दुल वाहिद की जमीन, पूरब- अनवारुल हक का घर, पश्चिम- 4.06 फीट रास्ता के बाद करन सदार का घर	11-02-2021 13-10-2021 सांकेतिक कब्जा	Rs. 4,70,737.48+ दिनांक 30.06.2017 से अप्रभारित ब्याज + अन्य खर्च (घटाये मांग सूचना के बाद खाते में जमा की गयी धनराशि)	आरक्षित मूल्य ₹ 15,10,000/- धरोहर राशि ₹ 1,51,000/-
4.	ऋणी- शबनम बानो पत्नी हफिजुल्ला, आराजी न0 मि 132 मौजा- महमूदपुर, मवई, मुगलसराय जिला- चंदौली, पिन 232101 तथा ए 34/72-जी मौलाना शहीद, तेलियाणा पोस्ट- विश्वेश्वरगंज, जिला- वाराणसी पिन- 221001 खाता संख्या-818096510000144 शारवा- साहपुरी, जिला-चंदौली	भूमि/भवन: प्लॉट न0 मि 132, मौजा- महमूदपुर, परगना- मवई, जिला- चंदौली पिन 232101 स्वामी का नाम- शबनम बानो, पत्नी हफिजुल्ला, चौहद्दी: उत्तर- खुशबू निशा की सम्पत्ति, दक्षिण- जमीला बीबी का घर, पूरब- रास्ता, पश्चिम- कब्रिस्तान की जमीन	17-02-2021 12-10-2021 सांकेतिक कब्जा	Rs. 4,77,156.51+ दिनांक 30.06.2020 से अप्रभारित ब्याज + अन्य खर्च (घटाये मांग सूचना के बाद खाते में जमा की गयी धनराशि)	आरक्षित मूल्य ₹ 7,40,000/- धरोहर राशि ₹ 74,000/-
5.	ऋणी- ताहिशा बीबी पत्नी अब्दुल राशिद तथा अनिसुर रहमान पुत्र अब्दुल राशिद, पता: ग्राम-सतपोखरी, पोस्ट- दुलहीपुर जिला-चंदौली, पिन-232101 खाता संख्या-818096510000048 शारवा- साहपुरी, जिला-चंदौली	भूमि/भवन: आराजी सं0 - मि 50, मौजा-सतपोखरी, परगना- राहपुर, जिला-चंदौली, स्वामी का नाम- ताहिशा बीबी पत्नी अब्दुल राशिद, चौहद्दी: उत्तर- 5 फीट रास्ता के बाद अब्दुल समद का घर, दक्षिण- 5 फीट रास्ता के बाद अब्दुल रासीन का घर, पूरब- रफ अहमद का घर, पश्चिम- असगरी बेगम का घर	10-02-2021 04-10-2021 सांकेतिक कब्जा	Rs. 6,81,259.98+ दिनांक 30.06.2017 से अप्रभारित ब्याज + अन्य खर्च	आरक्षित मूल्य ₹ 11,00,000/- धरोहर राशि ₹ 1,10,000/-
6.	ऋणी- मां0 फिरोज राईन पुत्र मां0 सलीम, पता: हाउस न0 291 ए1, कसाब महाल, मुगलसराय, जिला-चंदौली, पिन- 232101 खाता संख्या-818086680000010 शारवा- कालीमहाल, जिला- चंदौली	भूमि/भवन: हाउस न0 291, मौजा-हनुमानपुर, कसाब महाल, परगना- मवई, जिला- चंदौली, स्वामी का नाम- मां0 फिरोज राईन पुत्र मां0 सलीम, चौहद्दी: उत्तर- 6 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण- वैडर की घर और जमीन, पूरब-नूरजहाँ का घर, पश्चिम- वैडर की घर और जमीन	09-02-2021 01-10-2021 सांकेतिक कब्जा	Rs. 3,02,116.19+ दिनांक 30.06.2020 से अप्रभारित ब्याज + अन्य खर्च (घटाये मांग सूचना के बाद खाते में जमा की गयी धनराशि)	आरक्षित मूल्य ₹ 13,60,000/- धरोहर राशि ₹ 1,36,000/-
7.	ऋणी- गायत्री जायसवाल पत्नी कृपा शंकर जायसवाल एवं कृपा शंकर जायसवाल पुत्र केशव प्रसाद, पता: महाबलपुर, मुगलसराय, चन्दौली खाता संख्या-818086510000009 शारवा- कालीमहाल, जिला- चंदौली	भूमि/भवन: आराजी संख्या-127 मि, मौजा-महाबलपुर, परगना- राहपुर, जिला-चंदौली, स्वामी का नाम- श्रीमती गायत्री जायसवाल पत्नी श्री कृपा शंकर जायसवाल, चौहद्दी: उत्तर- 3'-08" लेन गृहराम सागर, दक्षिण- भूमि ताज बानो, पूरब- 11" रास्ता, पश्चिम- 2" लेन उसके बाद भूमि अगनू	25-11-2020 10-03-2021 सांकेतिक कब्जा	Rs. 9,94,321.00+ दिनांक 30.06.2020 से अप्रभारित ब्याज + अन्य खर्च	आरक्षित मूल्य ₹ 24,50,000/- धरोहर राशि ₹ 2,45,000/-
8.	ऋणी- जमीला बीबी पत्नी असगर खान एवं असगर खान पुत्र इशाक खान पता: सी 19/221ए लल्लापुरा खुर्द, गिरगा, वाराणसी खाता संख्या-818126510000008 शारवा- नईबस्ती, जिला- चंदौली	भूमि/भवन: आराजी संख्या-49, मौजा-सतपोखरी, परगना- राहपुर, जिला-चंदौली, स्वामी का नाम- जमीला बेगम पत्नी श्री असगर खान, चौहद्दी: उत्तर- संपत्ति सूर्या बेगम, दक्षिण- गृह समसुदीन, पूरब- 5 फीट रास्ता उसके बाद निजामुद्दीन का घर, पश्चिम- 6 फीट रास्ता उसके बाद मैनुद्दीन का घर	04-12-2020 12-03-2021 सांकेतिक कब्जा	Rs. 7,04,679.40+ दिनांक 30.06.2016 से अप्रभारित ब्याज + अन्य खर्च (घटाये मांग सूचना के बाद खाते में जमा की गयी धनराशि)	आरक्षित मूल्य ₹ 9,70,000/- धरोहर राशि ₹ 97,000/-
9.	ऋणी- फरजाना बीबी पत्नी ऐनुल हसन एवं ऐनुल हसन पुत्र बसीर, पता: ग्राम- सतपोखरी, परगना- राहपुर, दुल्हीपुर, जिला- चन्दौली खाता संख्या-818126510000004 शारवा- नईबस्ती, जिला- चंदौली	भूमि/भवन: आराजी सं0 -मि 26, मौजा-सतपोखरी, परगना- राहपुर, जिला-चंदौली, स्वामी का नाम- फरजाना बेगम पत्नी ऐनुल हसन, चौहद्दी: उत्तर- जैनुल अब्दीन का घर, दक्षिण- रास्ता, पूरब- रास्ता उसके बाद फुकरन का घर, पश्चिम- भूमि रिशाज और क्यूड्रेस	26-11-2020 25-03-2021 सांकेतिक कब्जा	Rs. 7,38,179.40+ दिनांक 30.06.2016 से अप्रभारित ब्याज + अन्य खर्च (घटाये मांग सूचना के बाद खाते में जमा की गयी धनराशि)	आरक्षित मूल्य ₹ 15,25,000/- धरोहर राशि ₹ 1,52,500/-
10.	ऋणी- शीला देवी पत्नी दल्लू राम, पता: आराजी नं0 88 मी व 126 मी, मौजा- महाबलपुर, परगना- राहपुर, जिला- चन्दौली, पिन- 232101 खाता संख्या-818126510000006 शारवा- नईबस्ती, जिला- चंदौली	भूमि/भवन: आराजी सं0 -88 मी व 126 मी, मौजा- महाबलपुर, परगना- राहपुर, जिला- चंदौली, स्वामी का नाम - शीला देवी पत्नी दल्लू राम, चौहद्दी: उत्तर- 12 फीट पत्थर का रास्ता, दक्षिण- घुर फेकन का जमीन, पूरब- 4 फीट रास्ता उसके बाद फुकरन का घर, पश्चिम- 10 फीट पत्थर का रास्ता	18-01-2021 16-10-2021 सांकेतिक कब्जा	Rs. 7,30,656.00+ दिनांक 30.09.2016 से अप्रभारित ब्याज + अन्य खर्च	आरक्षित मूल्य ₹ 10,35,000/- धरोहर राशि ₹ 1,03,500/-
11.	ऋणी- वाजीद अली पुत्र सादिक अली एवं मोसाना बीबी पत्नी सादिक अली, पता: महाबलपुर, दुल्हीपुर, मुगलसराय, जिला- चन्दौली खाता संख्या-818126510000017 शारवा- नईबस्ती, जिला- चंदौली	भूमि/भवन: आराजी सं0 -87, मौजा-महाबलपुर, परगना- राहपुर, जिला-चंदौली, स्वामी का नाम - मोसाना बीबी पत्नी सादिक अली, चौहद्दी: उत्तर- 4 फीट रास्ता, दक्षिण- भूमि अमरनाथ राम, पूरब-अजमत अली का घर, पश्चिम- 4 फीट रास्ता उसके बाद भूमि बहादुर राम	25-11-2020 12-03-2021 सांकेतिक कब्जा	Rs. 5,36,796.00+ दिनांक 30.06.2017 से अप्रभारित ब्याज + अन्य खर्च (घटाये मांग सूचना के बाद खाते में जमा की गयी धनराशि)	आरक्षित मूल्य ₹ 13,60,000/- धरोहर राशि ₹ 1,36,000/-

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1- इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबंद लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2- बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में चंदौली में देयदोर एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, बड़ौदा यू. पी. बैंक क्षेत्रीय कार्यालय चंदौली के पक्ष में डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% धरोहर राशि जमा/संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा और शेष असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3- सफल बोलीदाता को डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में अगले दिन बोली रकम (धरोहर राशि को छोड़कर) का 15% और जमा करना होगा और शेष 75% अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4- प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिए बोली/सर्वोच्च बोली को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री/नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5- प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/देनदारियों/भार/करों/सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6- सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7- यदि ऐसा जाना जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की धरोहर राशि एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 8- प्राधिकृत अधिकारी बिक्री/नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 9- बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो कुछ है", और "वहाँ जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 10- अगर कोई कर्जदार/जमानतदार/बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकायों का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। हालांकि कर्जदार/जमानतदार/बंधककर्ता को पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्थितियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 11- यह बोलीदाताओं को एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के सम्बन्ध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे दोपहर 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर सम्बंधित शारवा से समय लेकर सम्पत्ति को देख/निरीक्षण कर सकते हैं। 12- यह बिक्री नोटिस के कर्जदारों/जमानतदार (ओं)/बंधक कर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता/सर्वसाधारण के लिए समान रूप से है। 13- बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कर्जदार/जमानतदार (ओं) के वेबसाइट में प्रदान किये गए लिंक को <https://barodaupbank.in/sarface> पर देखें या दिये गये मोबाइल नं0 8787005609 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदार(ओं)/जमानतदार(ओं)/कानूनी वारिस(ओं)/बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकायों का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जायेगा और अगर कोई अन्य शेष होगा तो उसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उसे वसूल किया जायेगा।



बड़ौदा यू. पी. बैंक Baroda U.P. Bank

(पूर्ववर्ती कार्शी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक) (Sponsored by Bank of Baroda)

क्षेत्रीय कार्यालय, चंदौली जीटी रोड, गुप्ता पेट्रोल पंप अलीनगर, चंदौली -232101

सार्वजनिक
बिक्री/नीलामी सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

अचल संपत्ति के लिए सार्वजनिक नीलामी/बिक्री सूचना

वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा सेवशन 13(4)

(सरफेसी अधिनियम 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 6(2) और/या नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना
जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़ौदा यू. पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें कर्जदार(रों) गारंटीदाता(ओं) बन्धककर्ता(ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार(रों) गारंटीदाता(ओं) बन्धककर्ता(ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों के नाम से निदिष्ट का सांकेतिक कब्जा ले लिया है जैसा की अधोहस्ताक्षरी, सरफेसिया अधिनियम 2002 की धारा 13(4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंको के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार(रों) गारंटीदाता(ओं) बन्धककर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक /प्रभारित पड़ी है, जिसका सांकेतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू. पी. बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्निकित बकायों की वसूली हेतु निम्निकित साक्षी में अदिकतानुसार तिथि को "जैसा है जहाँ है, जैसा है जो है" और जो है वहाँ है" आधार पर बेचा जाएगा। जनसाधारण और विशेषरूप से कर्जदार(रों) गारंटीदाता(ओं) बन्धककर्ता(ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसिया अधिनियम 2002 के अधीन निम्निकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को 24.08.2022 को या उससे पहले बड़ौदा यू.पी.0 बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय चंदौली जी.टी रोड अलीनगर गुप्ता पेट्रोल पंप के बगल में मुगलसराय जनपद चंदौली (232101) में मुखसब्द लिफाफे में निम्निकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली 25.08.2022 को खोली जाएगी।

क्र. सं.	ऋणी/ बंधककर्ता का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण संपत्ति के मालिक का नाम	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक / कब्जा का प्रकार	बकाया धनराशि व दिनांक	आरक्षित मूल्य/ परोहर राशि (₹0)
1.	ऋणी- जय राम गोंड पुत्र मार्कण्डेय गोंड पता: प्लॉट नं० 107, ग्राम- कबीरपुर, दहिया, जिला- चंदौली, पिन -221008 खाता संख्या -818066510000128 शाखा -कटरिया, जिला-चंदौली	भूमि, भवन: प्लॉट नं०107, मौजा कबीरपुर, परगना- राहूपुर, जिला- चंदौली, स्वामी का नाम - जय राम गोंड पुत्र मार्कण्डेय गोंड, चौहद्दी: उत्तर- गोविन्द सोनकर की जमीन, दक्षिण- 3 फीट कच्चा रास्ता के बाद राजेश सेठ का मकान और जमीन, पूरब- सुनील सोनकर की जमीन, पश्चिम- गोविन्द सोनकर की जमीन	17-02-2021 24-09-2021 सांकेतिक कब्जा	Rs. 11,06,931.20 + दिनांक 30.06.2020 से अप्रभारित ब्याज + अन्य खर्च	आरक्षित मूल्य ₹ 11,00,000/- परोहर राशि ₹ 1,10,000/-

बिक्री के नियम एवं शर्तें 1- इच्छुक बोलीदाताओं को मुखसब्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2- बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में चंदौली में देयगौरव एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, बड़ौदा यू. पी. बैंक क्षेत्रीय कार्यालय चंदौली के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा परोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% परोहर राशि जमा/संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा और शेष असफल बोलीदाताओं की परोहर राशि एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3- सफल बोलीदाता को डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में अगले दिन माली रकम (परोहर राशि को छोड़कर) का 15% और जमा करना होगा और शेष 75% अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4- प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिए बोली / सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5- प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/देनदारियों/भार/करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6- सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7- यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं का एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8- बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो कुछ है", और "वहाँ जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9- अगर कोई कर्जदार/जमानतदार/बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकायों का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। हालांकि कर्जदार/जमानतदार/बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आसितियों को गिनात करने का अवसर होगा जो प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संसोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10- यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के सम्बन्ध में संतुष्ट एवं पुष्ट हों। वे दोपहर 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर सम्बंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख / निरीक्षण कर सकते हैं। 11- यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/जमानतदार (ओं) / बंधक कर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता /सर्वसाधारण के लिए समानतर रूप से है। 12- बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किये गए लिंक को <https://barodaupbank.in/sarfaesinotice.php> देखें या दिये गये मोबाइल नं० 8787005609 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदार(ओं) /जमानतदार(ओं)/कानूनी वारिस(ओं) /बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकायों का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य शेष होगा तो उसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उसे वसूल किया जाएगा।

दिनांक - 22.07.2022

स्थान - चन्दौली

प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू.पी.0 बैंक